



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22263-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29248/2025

श्रीमती सरितायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शशी धर शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थियों (विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3) को मुकदमा अपराध संख्या-0276/2025, धारा 191(2), 131, 117(2), 352, 351(3) एवं 105 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023, थाना-कोतवाली, जनपद-बस्ती (जो रिट याचिका के संलग्नक-1 के रूप में शामिल है) की उचित विवेचना करने का निर्देश दिया जाए।
(ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थियों (विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3) को याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है।
(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।
(iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले का खर्च प्रदान करें।"
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.8.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यदि ऐसा आवेदन पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती के समक्ष दिया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती/प्रत्यर्थी संख्या-2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"